15277

उत्तर PRADESH

558511

12 FEB 2008

विक्रय पत्र

- विक्रय मूल्य 53,65,000/- रूपये
- विक्रित भूमि किसी राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- विकित भूमि पर अन्य प्रयोजन की दर 50,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर से अधिक दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
- कुल देय स्टाम्प अंकन 5,36,500/- रूपये, संलग्न स्टाम्प अंकन 5,40,000/- रूपये

12 12/2/08 23000

असल हाउसिंग कन्सट्रक्शन लि० 15 यू०जी० इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग बाराखम्बा रोड कनाट प्लेस दिल्ली द्वारा अधिकृत राजेन्द्र शर्मा S/o सी०बी० शर्मा ... असल हाउसिंग कन्सट्रक्शन लि०

उप-रजिस्ट्रार

9 नम्बर 536500/

5000/ 20/ 5020/ - 80

देवेन्द्र सिंह

[illegible]

13/2/08

536500/ [illegible]

देवेन्द्र सिंह [illegible]

[illegible] असल हाउसिंग [illegible] 21 बाराखम्बा रोड दिल्ली [illegible] राजेन्द्र शर्मा S/o सी. बी. शर्मा [illegible]

[illegible]

[illegible]

13/2/08

देवेन्द्र सिंह

अमित कुमार

13/2/08

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश DESH 558512

Teh. Sardhana Meerut

➢ स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।

हम कि देवेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह व अनिल कुमार पुत्रगण स्वयंबरपाल सिंह निवासीगण ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ विक्रेता/प्रथम पक्ष

एवं

मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा

2

देवेन्द्र सिंह

अनिल कुमार

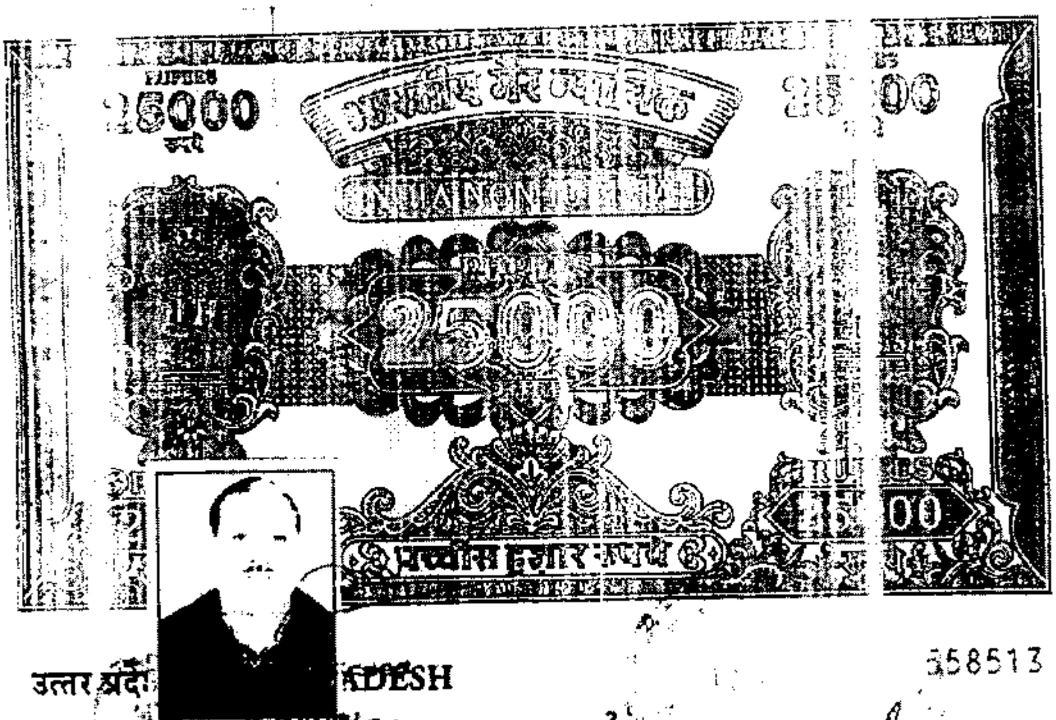

उत्तर प्रदे ADESH 358513

3

पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा निवासी केयरआफ मैसर्स अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15–यू.जी.एफ., 21–बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली क्रेता/द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि संक्रमणीय भूमिधरी भूमि खाता संख्या 51 के खसरा नम्बर 1573/2, रकबा 0.1900 हे0 शून्य दशमलव एक नो शून्य शून्य हैक्टेयर व 1574/2, रकबा 0.1770 हे0 शून्य दशमलव एक सात सात शून्य हैक्टेयर व 1575/3 रकबा 0.2070 हे0 शून्य दशमलव दो शून्य सात शून्य हैक्टेयर व

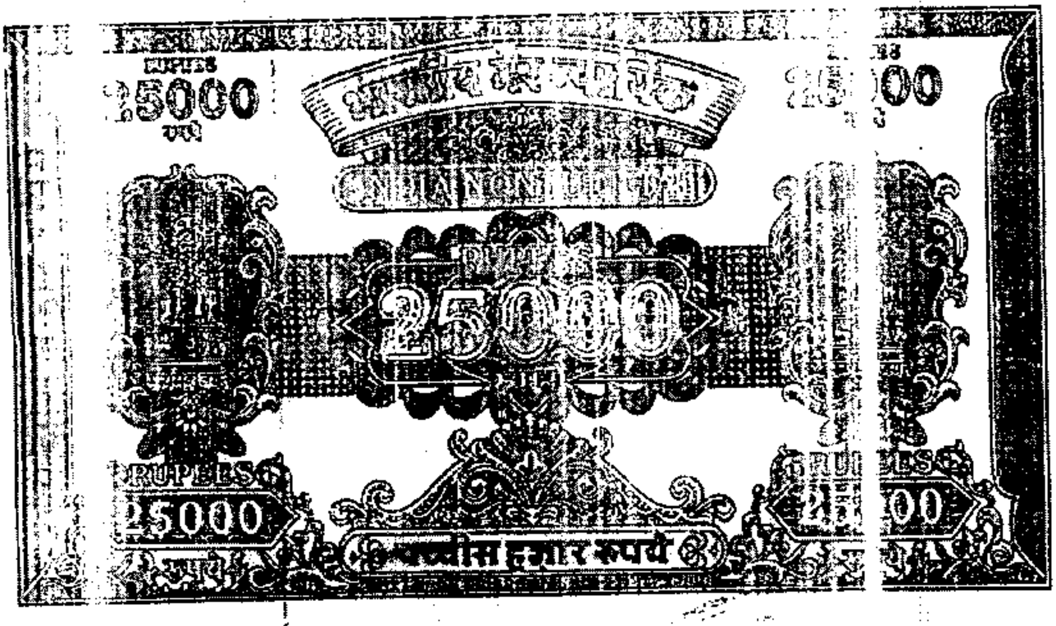

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558514

12 FEB

1576/2, रकबा 0.4040 हे0 शून्य दशमलव चार छः चार शून्य हैक्टेयर व 1578, रकबा 0.2780 हे0 शून्य दशमलव दो सात आठ शून्य हैक्टेयर व 1579, रकबा 0.1390 हे0 शून्य दशमलव एक तीन नो शून्य हैक्टेयर व 1581/1, रकबा 0.1010 हे0 शून्य दशमलव एक शून्य एक शून्य हैक्टेयर व 1580, रकबा 0.1390 हे0 शून्य दशमलव एक तीन नो शून्य हैक्टेयर 1591/2, रकबा 0.1830 हे0 शून्य दशमलव एक आठ तीन शून्य हैक्टेयर व 1592, रकबा 0. 4680 हे0 शून्य दशमलव चार छः आठ शून्य हैक्टेयर व 1593, रकबा 0.4290 हे0 शून्य दशमलव चार दो नो शून्य हैक्टेयर व

4

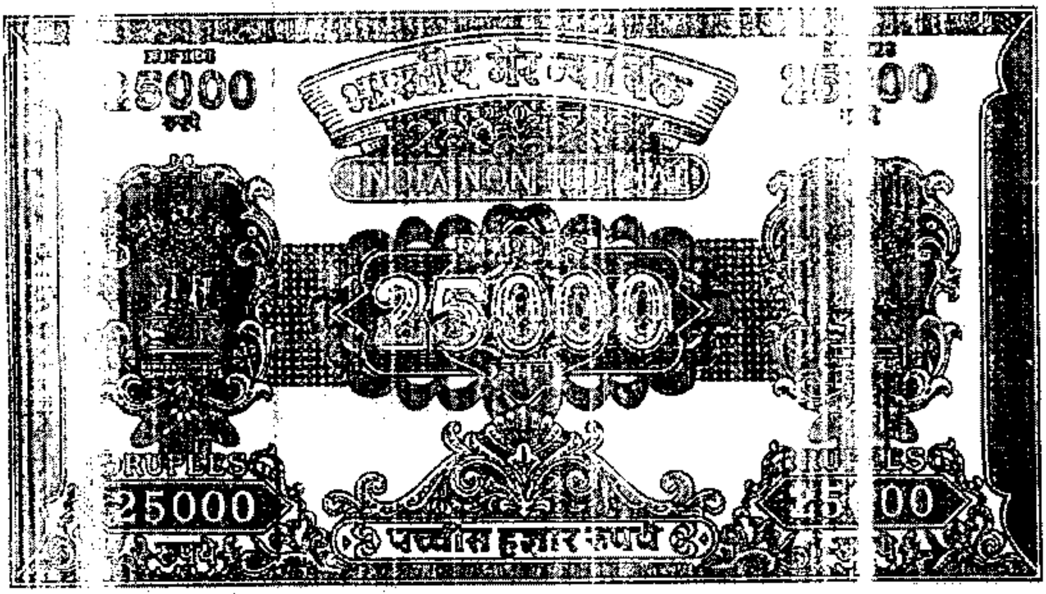

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558515

5

1594, रकबा 0.1140 हे0 शून्य दशमलव एक एक चार शून्य हैक्टेयर व 1595, रकबा 0.1520 हे0 शून्य दशमलव एक पांच दो शून्य हैक्टेयर व 1596, रकबा 0.1520 हे0 शून्य दशमलव एक पांच दो शून्य हैक्टेयर व 1597, रकबा 0.1140 हे0 शून्य दशमलव एक एक चार शून्य हैक्टेयर व 1598, रकबा 0.0760 हे0 शून्य दशमलव शून्य सात छः शून्य हैक्टेयर व 1599, रकबा 0.0890 हे0 शून्य दशमलव शून्य आठ नो शून्य हैक्टेयर व 1600/1 मि0, रकबा 0.1640 हे0 शून्य दशमलव एक छः चार शून्य हैक्टेयर व 1602/2, रकबा 0.0760 हे0 शून्य दशमलव शून्य सात छः शून्य हैक्टेयर व

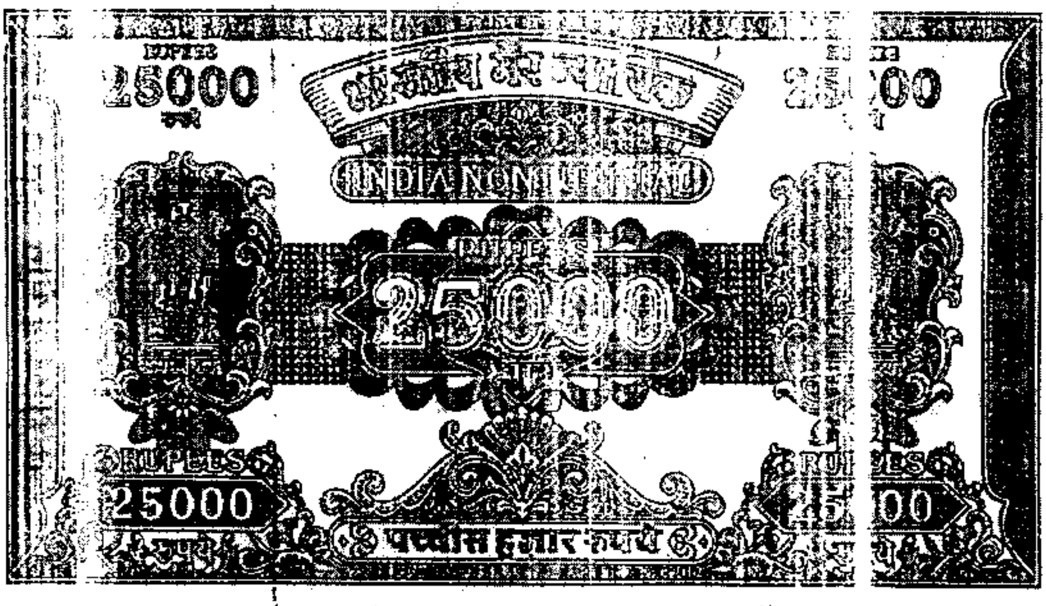

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558516

6

1603, रकबा 0.0890 हे0 शून्य दशमलव शून्य आठ नो शून्य हैक्टेयर व 1604, रकबा 0.3040 हे0 शून्य दशमलव तीन शून्य चार शून्य हैक्टेयर व 1605मि0, रकबा 0.0630 हे0 शून्य दशमलव शून्य छः तीन शून्य हैक्टेयर व 1606/2, रकबा 0.1010 हे0 शून्य दशमलव एक शून्य एक शून्य हैक्टेयर व 1607, रकबा 0.1900 हे0 शून्य दशमलव एक नो शून्य शून्य हैक्टेयर व 1608, मि0, रकबा 0. 1640 हे0 शून्य दशमलव एक छः चार शून्य हैक्टेयर कुल 25 पच्चीस नम्बर कुल रकबा 4.6230 हे0 चार दशमलव छः दो तीन शून्य हैक्टेयर, में अपने समस्त भाग की भूमि 0.2682,1/2 हे0

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
25000 रुपये
RUPEES 25000
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558517

7

शून्य दशमलव दो छः आठ दो सही एक बटा दो हैक्टेयर स्थित ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उऋण है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक

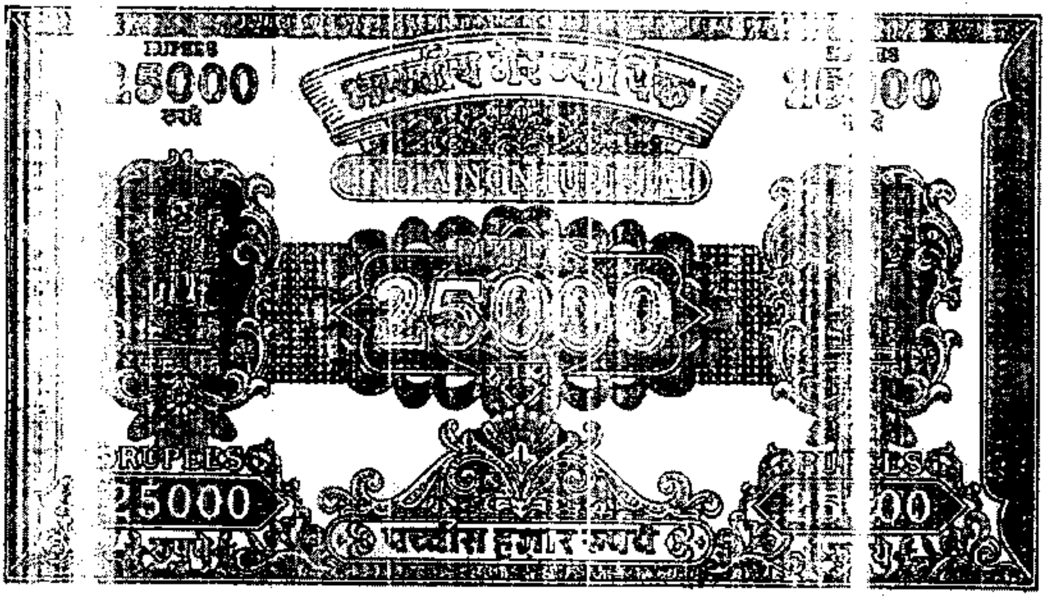

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558518

8 . 12 FEB 2008

नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी

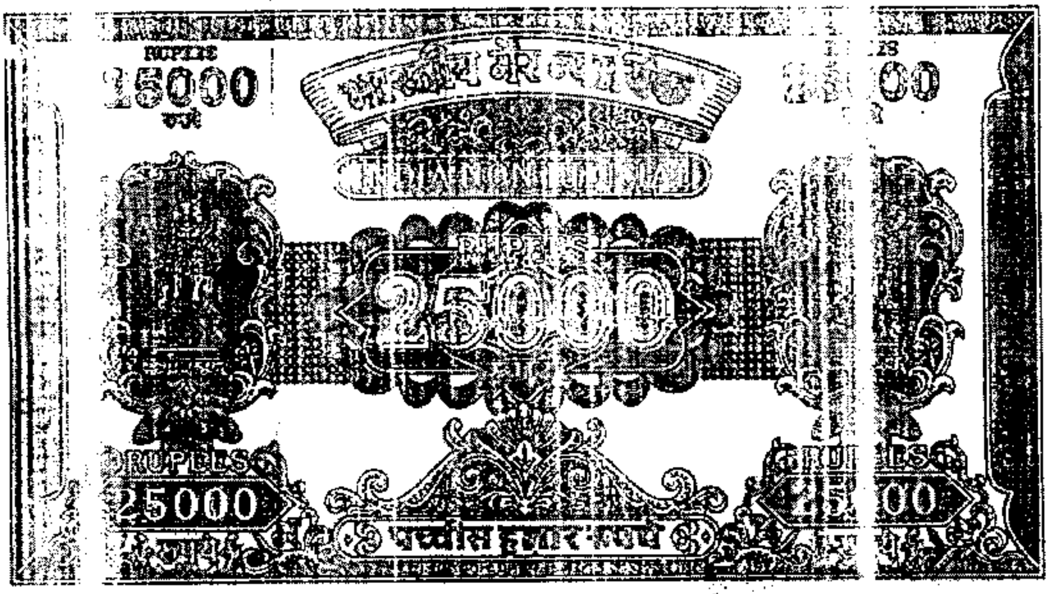

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558519

9

रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन **53,65,000/– तरेपन लाख पैंसठ हजार रूपये** तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई

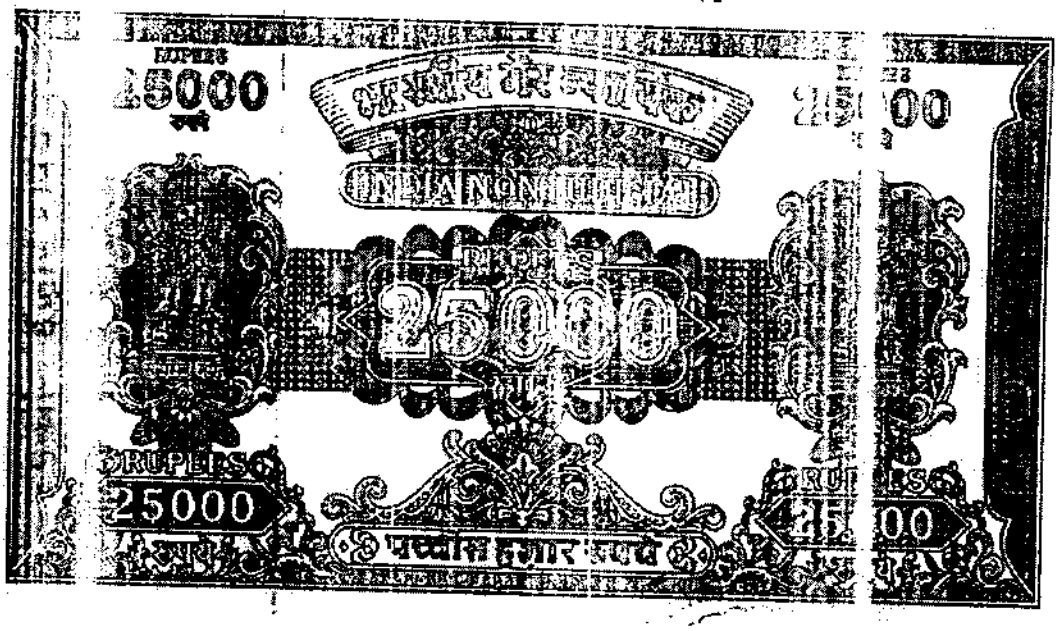

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 FEB 2008 558520

10

दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 53,65,000/– तरेपन लाख पैंसठ हजार रूपये कि आधे जिसके अंकन 26,82,500/– छब्बीस लाख बयासी हजार पांच सौ रूपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15–यू.जी.एफ., 21–बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा

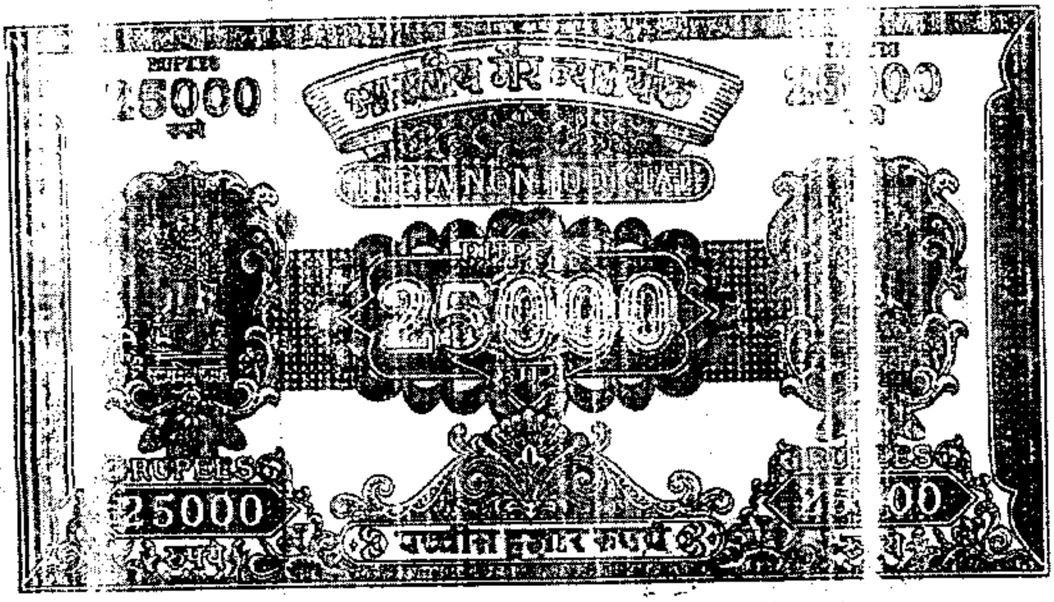

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 FEB 2008 558521

11

पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा निवासी केयरआफ मैसर्स अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15—यू.जी.एफ., 21—बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य रास्ते की सुविधा हेतु नकद घर पर प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष

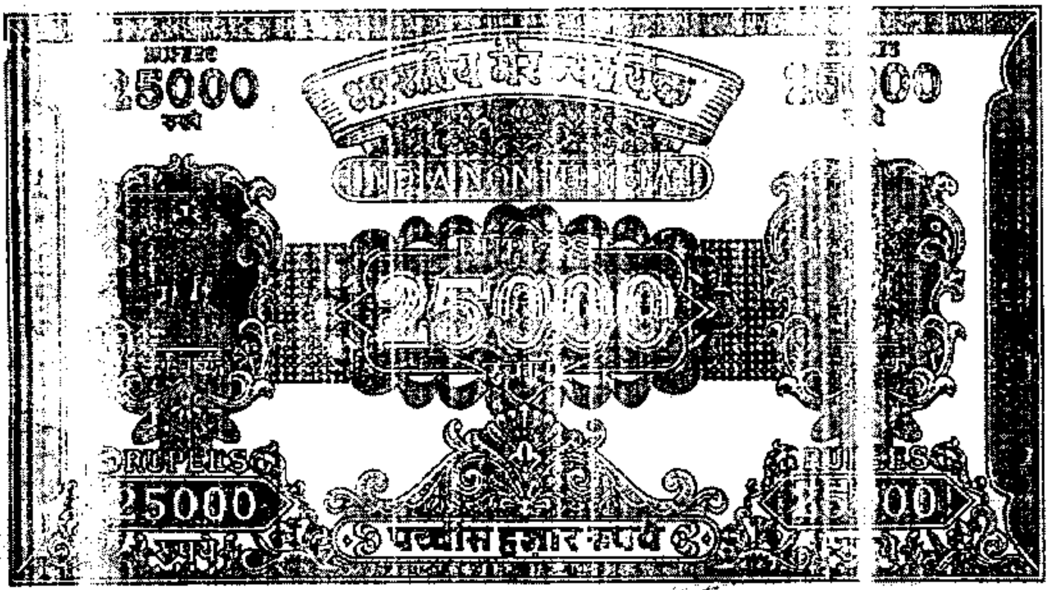

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558522

12 12 FEB 2008

नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की

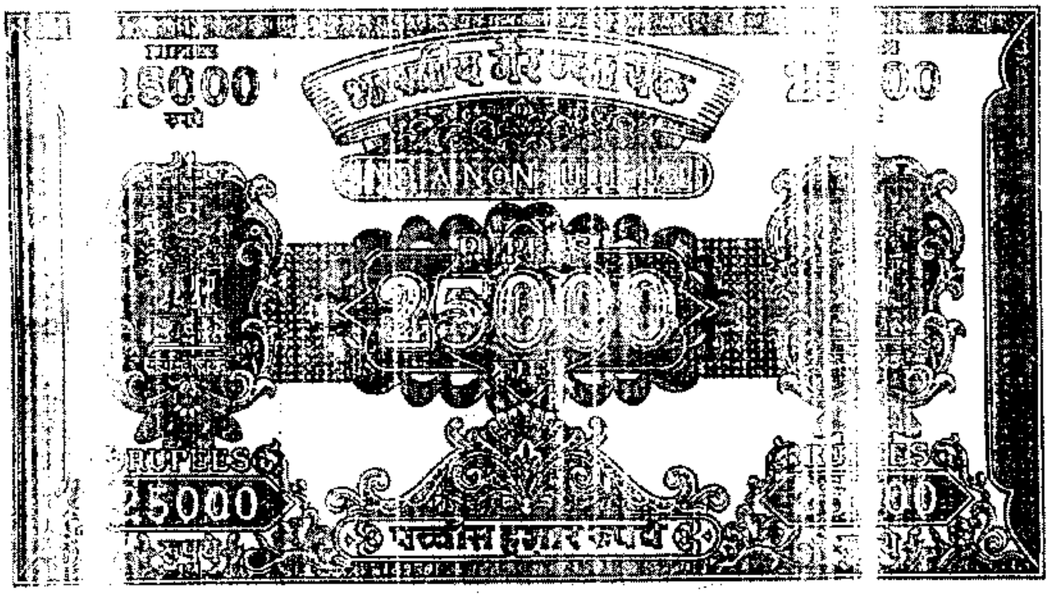

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558523

13

आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई डयूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त डयूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। उपरोक्त खसरा नम्बरान में विकेता देवेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह ने अपने समस्त 1/18 भाग की भूमि व अनिल कुमार ने अपने 1/36 भाग में से अवशेष भूमि 0.0114 हे0 भूमि विकय की है। हम विकेतागण ने

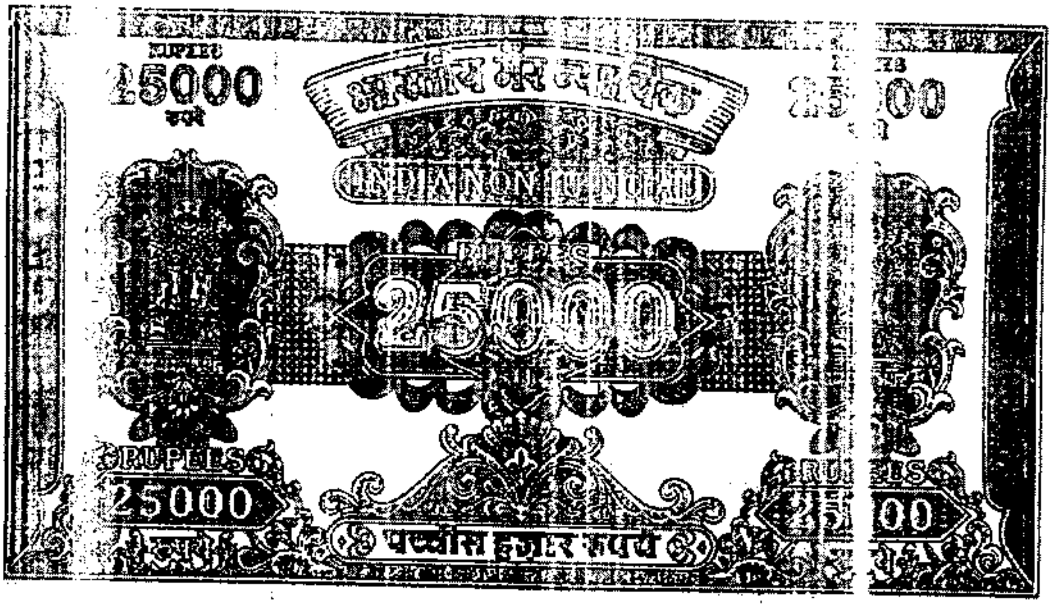

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558524

12 FEB 2008

उत्तर पूर्वी दिशा में जहां पर हमारा कब्जा था, उसी भूमि पर केता का कब्जा करा दिया है, जो कि ग्राम मुकर्ररबपुर पल्हेड़ा की सीमा से मिली हुई है। अब अपने समान इसी भूमि पर केता द्वितीय पक्ष का कब्जा हमने करा दिया है जिसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। अब विकेतागण का उक्त खसरा नम्बर में कोई अंश शेष नहीं रहा है। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी

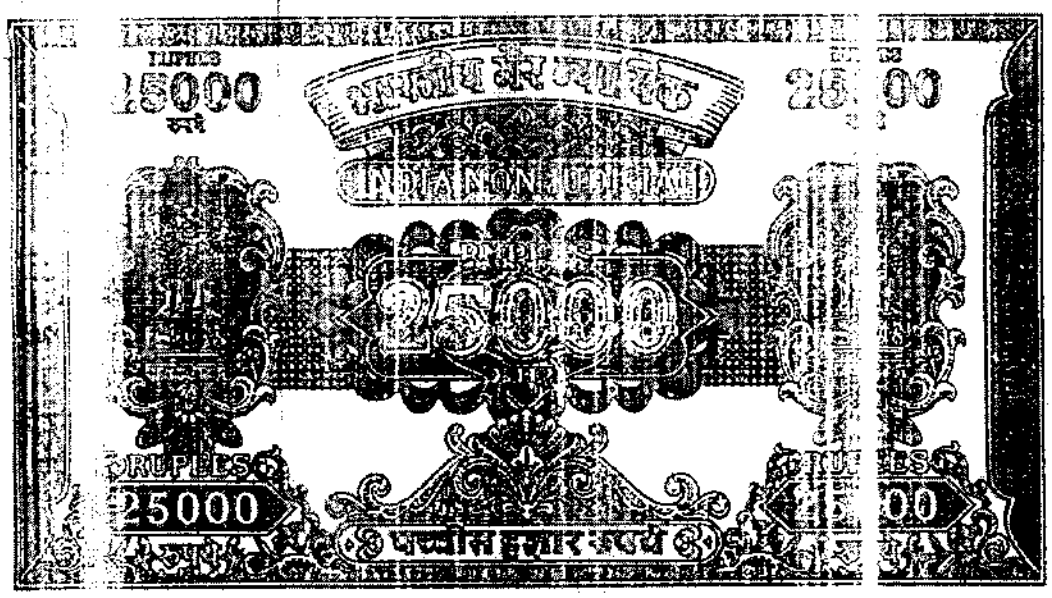

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558525

. 15 .

न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी।

15

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558526

16 . 12 FEB 2008

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

भूमि किस्म सेवटा अव्वल आबी है।

विक्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।

विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है।

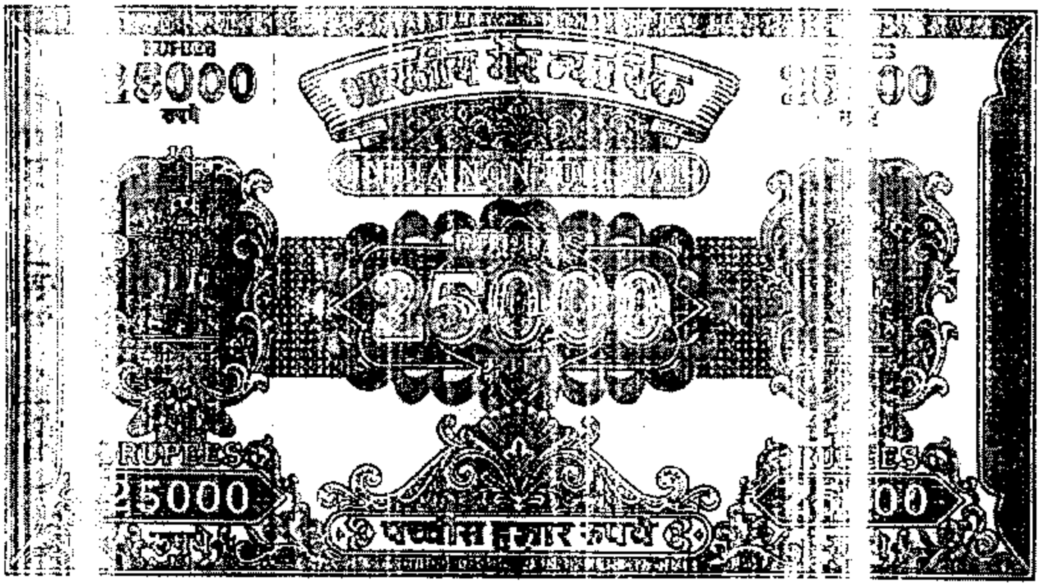

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558527

. 17 .

12 FEB 2008

विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।

दिनांक: **13.02.2008 तेरह फरवरी सन दो हजार आठ ई0।**

मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ।

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)

देवेन्द्र सिंह

अनिल कुमार

17

S/o Sh. M.S. Tyagi
41- Golden Awas
Roorkee Road Meerut

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)

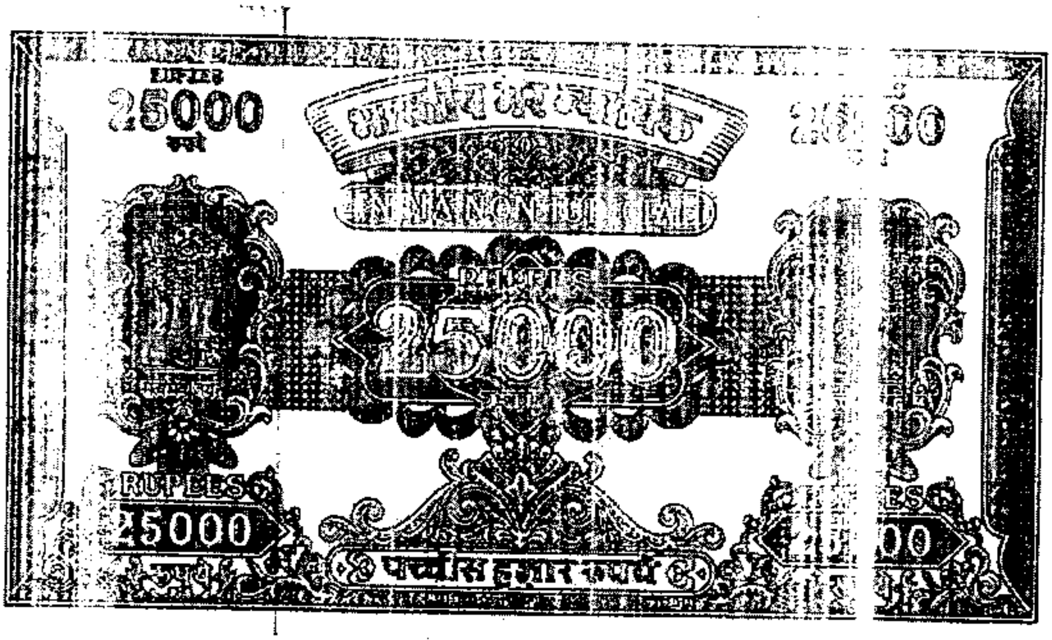

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558528

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : देवेन्द्र सिंह S/o ....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

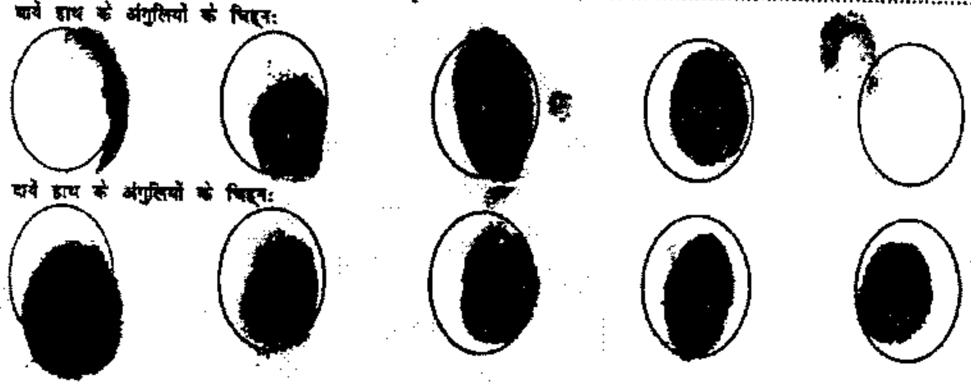

देवेन्द्र सिंह

अनिल कुमार

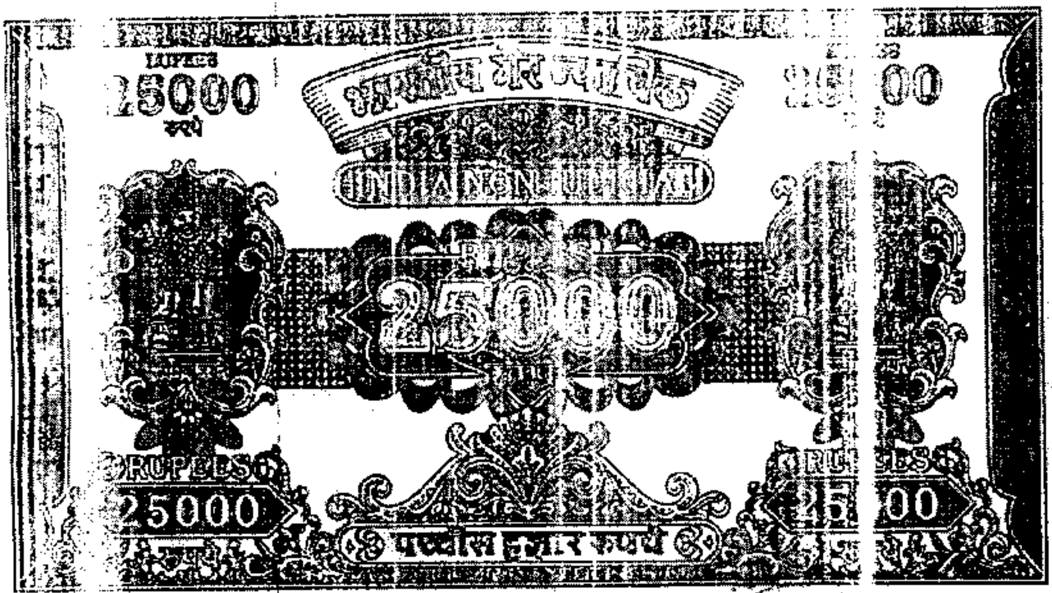

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 558529

12 FEB 20[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

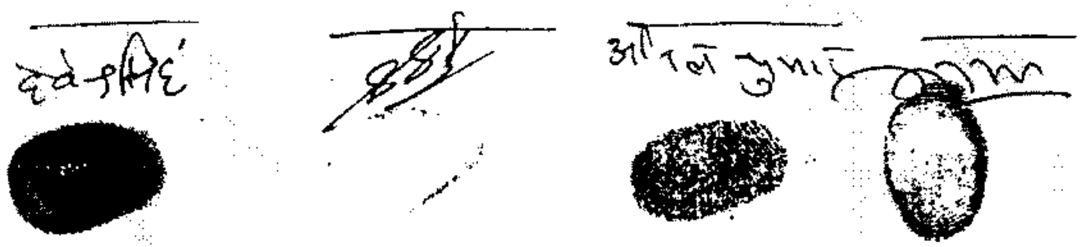

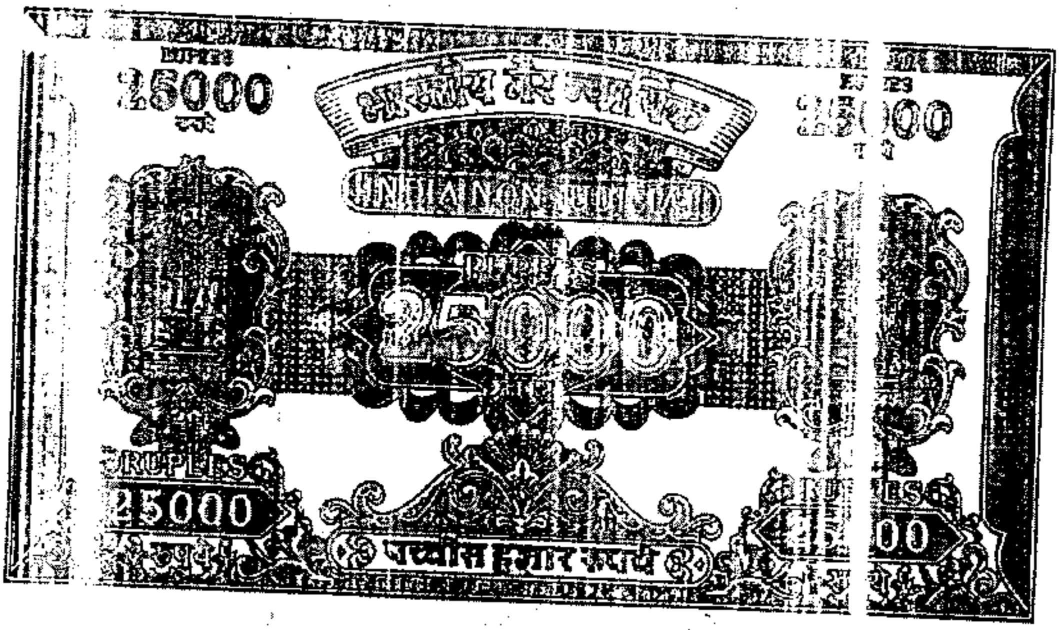

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558531

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 सत्यमेव जयते Rs.15000

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

038199

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

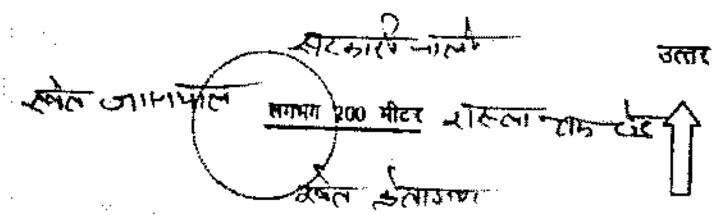

<u>विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण</u>

1. राष्ट्रीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग/लिंक मार्ग/चकमार्ग ——— x
2. बाग/नर्सरी ——— x
3. आवासीय/वाणिज्यिक भूमि/भवन ——— x
4. शैक्षिक संस्थान/धर्मार्थ संस्थान/स्वास्थ्य केन्द्र ——— x
5. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज ——— x
6. गैस गोदाम/पैट्रोल पम्प/नलकूप ——— x
7. होटल/रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र ——— x
8. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय ——— x
9. अन्य

घोषणा– किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

(4) 12/2k8 1500
क्र. सं.
खातेन 125 गया।

K. Mel
उप-रोकड़िया

13/21.8
1675
363/ 1507
Al

सेवा में,

डायरेक्टर

अंसल हाउसिंग लि0

महोदय,

निवेदन है कि अंसल हाउसिंग द्वारा हमारी भूमि स्थित ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ का विक्रय पत्र लिखाया गया है। चूंकि हमारा किसी बैक में खाता नही है। अत: हमारा जो भी रूपया भूमि का बनता है उसको नकद रूप में हमें दिलाने की कृपा करें।

भवदीय

अनिल कुमार व देवेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह

पुत्रगण स्वयम्बरपाल

ग्राम जाटौली तहसील सरधना जिला मेरठ

PARDEEP KUMAR S/o Sri Fatehsingh
1/129 Shradhapuri K.K.
MEERUT